	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहद हुक्म में
5/4/26	पत्रा० पेश हुई। बकु० उप०। ~~पत्रावली~~ वादी द्वारा प्रस्तुत दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम चले आ रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी, प्रतिवादीगण सं. 1 व तर० प्रति० सं० 2 व 3 को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदानुसार डिक्री जारी की जावे। निर्णय पृथक से जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई

व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 चिराग बनाम मुकेश बगै.

दावा बावत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 138/2016

यह मुकदमा आज बास्ते इनफिसाल कताई रू–ब–रू .....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दअ व ..... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नं. 344 रकवा 0.20, 369/1255 रकवा 0.07, 370 रकवा 0.07, 373 रकवा 0.30, 664 रकवा 1.27, 665 रकवा 0.82, 666 रकवा 0.29, 667 रकवा 0.29, 672 रकवा 0.38, 693 रकवा 0.30, 703 रकवा 0.68, 714 रकवा 0.30, 715 रकवा 0.22, 745 रकवा 0.31, 746 रकवा 0.59, 765 रकवा 0.21, 1045 रकवा 0.04, 174 रकवा 0.70, 175 रकवा 0.16, 176 रकवा 0.30, 188 रकवा 0.15, 190 रकवा 0.20, 383 रकवा 0.46, 384 रकवा 0.35, 385 रकवा 0.15, 386 रकवा 0.53 किता 26 रकवा 9.46 हैक्टे. में प्रतिवादी 1/8 भाग तथा खसरा नं. 764/0.28, 1109/0.19, 1188/0.16 किता 03 रकवा 0.63 हैक्टे. वाके ग्राम बरबारा पटवार हल्का लुहासा तहसील नदबई पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम चले आ रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादी, प्रतिवादी संख्या 01 व तर. प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से पर प्रत्येक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

डिक्रीज – मुबलिग _____ बावत _____ खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह _____फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक _____ की अदा करे ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15/04/26 को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

1. चिराग पुत्र मुकेश नाबालिग जरिये बली सरपरस्त संरक्षक माता खुद श्रीमती हिमांशी उर्फ पत्नि मुकेश जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई (भरतपुर)

—वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई (भरतपुर) एवं हाल तैनात आरक्षी ड्राइवर बैल्ट नं. 111540097 केन्द्रीय आद्यौगिक सुरक्षा बल समूह केन्द्रीय भवन सी–2 ग्राउण्ड फ्लोर पोस्ट ऑफिस सी.एम.ई.जेड कोचिंग 682037 (केरल)।

—असल प्रतिवादीगण

2. युवान चौधरी पुत्र मुकेश नाबालिग बली सरपरस्त माता खुद राधिका पत्नि मुकेश जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. केतिका चौधरी पुत्री मुकेश नाबालिग बली सरपरस्त माता खुद राधिका पत्नि मुकेश जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर। रामवीर पि0 तुलाराम जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 138/2016
जीसीएमएस न. 2016/00258
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 15/4/26

1. चिराग पुत्र मुकेश नाबालिग जरिये बली सरपरस्त संरक्षक माता खुद श्रीमती हिमांशी उर्फ रेनू पत्नि मुकेश जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई (भरतपुर)

—वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई (भरतपुर) एवं हाल तैनात आरक्षी ड्राइवर बैल्ट नं. 111540097 केन्द्रीय आद्यौगिक सुरक्षा बल समूह केन्द्रीय भवन सी–2 ग्राउण्ड फ्लोर पोस्ट ऑफिस सी.एम.ई.जेड कोचिंग 682037 (केरल)।

—असल प्रतिवादीगण

2. युवान चौधरी पुत्र मुकेश नाबालिग बली सरपरस्त माता खुद राधिका पत्नि मुकेश जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. केतिका चौधरी पुत्री मुकेश नाबालिग बली सरपरस्त माता खुद राधिका पत्नि मुकेश जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर। रामवीर पि0 तुलाराम जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लखन भातरा एड0(वादीगण)
उपस्थित श्री निर्भय सिंह एड0 (प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से)
श्री रामकिशन पूनिया एडवो. (प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से)

:: निर्णय :: दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह है कि वादी चिराग उम्र 2 वर्ष नाबालिग जो अपनी माता के संरक्षण में रहकर पल रहा है पिता सी.आई.एस.एफ में नौकरी करता है जो शराब पीता है व अनेक व्यसन करता है और परिवार की सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने पर लगा है। वादी अपनी माता के साथ रहता है एवं माता ही वादी की समस्त देखरेख करती है व समस्त खर्चों की मां जिम्मेदार

उपखण्ड अ
नदबई (भ

है। नाबालिग के समस्त हितों की सुरक्ष माता करने में सक्षम है। माता व नाबालिग के हित समान है। माता से अच्छा नाबालिग का कोई संरक्षक नहीं है। अतः नाबालिग के हितों की सुरक्षा करने हेतु यह दावा माता को बली सरपरस्त बनाकर उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा करने बाबत जरिये संरक्षक माता पेश किया जा रहा है।

2. यह है कि वादी एवं प्रतिवादी आपस में पुत्र पिता है। जिन्हें समझाने हेतु उनका पारिवारिक सजरा पत्रावली में संलग्न है।

3. यह है कि हाल आराजी खसरा नं. 344 रकवा 0.20, 369/1255 रकवा 0.07, 370 रकवा 0.07, 373 रकवा 0.30, 664 रकवा 1.27, 665 रकवा 0.82, 666 रकवा 0.29, 667 रकवा 0.29, 672 रकवा 0.38, 693 रकवा 0.30, 703 रकवा 0.68, 714 रकवा 0.30, 715 रकवा 0.22, 745 रकवा 0.31, 746 रकवा 0.59, 765 रकवा 0.21, 1045 रकवा 0.04, 174 रकवा 0.70, 175 रकवा 0.16, 176 रकवा 0.30, 188 रकवा 0.15, 190 रकवा 0.20, 383 रकवा 0.46, 384 रकवा 0.35, 385 रकवा 0.15, 386 रकवा 0.53 किता 26 रकवा 9.46 हैक्टे. में प्रतिवादी 1/8 भाग तथा खसरा नं. 764/0.28, 1109/0.19, 1188/0.16 किता 03 रकवा 0.63 हैक्टे. में प्रतिवादी 1/2 भाग स्थित याके ग्राम बरबारा पटवार हल्का लुहासा तहसील नदबई का खातेदार काश्तकार व दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक आराजीयात है जिस पर प्रतिवादी अकेले के नाम इन्द्राज कर्ता खानदान की हैसियत से चले आ रहे है। उक्त आराजीयात को प्रतिवादी ने अपने पिता स्व0 रामस्वरूप पुत्र भीकम से विरासतन प्राप्त किया है जो वादी की कोपासर्नरी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक अविभाजित आराजीयात है जिसमें वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। और वह उनकी घोषणा अपने पिता के जीवनकाल में ही करा पाने का अधिकारी है।

4. यह कि वादी प्रतिवादी का कोपासर्नर है और उसके अपने पूर्वजों से प्राप्त पुश्तैनी व सहदायिकी व संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गई सम्पत्ति में मिताक्षरा विधि के अनुसार जन्म से अधिकार निहित है और प्रत्येक कोपासर्नर अपने पिता के बराबर सहहिस्सेदार/सहखातेदार व काबिज हो जाता है और उसका कब्जा भी स्वतः माना जाता है कोपासर्नरी आराजीयात को बिना सहमति अन्य कोपासर्नर के खुर्द बुर्द नहीं किया जा सकता है और न ही उसे किसी भी प्रकार से बेस्ट डेगेज व ऐलीनेट किया जा सकता है। परन्तु प्रतिवादीगण कर्ताखानदान होने के कारण अकेले के नाम इन्द्राज होने से व वादी की माता से मनमुटाव होने के कारण सहदायिकी सम्पत्ति को किसी दीगर व्यक्ति को हस्तांतरण करने पर उतारू है जबकि उसे ऐसा करने का कोई हक बिना वादी की अनुमति के हासिल नहीं है वादी के विवादित आराजी में जो सहदायिका सम्पत्ति है उसमें जन्म से ही अधिकार निहित है। उनकी घोषणा वह अपने पिता के जीवनकाल में ही करा पाने का अधिकारी है।

5. यह कि वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 17.07.2016 को उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक आराजीयात में अपने निहित हिस्से 1/2 प्रतिवादी के नाम अंकित 1/8 व 1/2 में भाग में अर्थात सम्पूर्ण में 1/16 भाग व 1/4 भाग के इन्द्राज हाल राजस्व रिकॉर्ड में सहमति से दर्ज कराने को कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया है और खुलेआम गांव में दिनांक 17.07.2016 को धमकी दी है कि वह कोई इन्द्राज वादी के नाम नहीं होने देगा व विवादित आराजी को किसी दीगर शक्तिशाली व्यक्ति को रहन, वय मुन्तकिल कर देगा जो वादी को जबरन उसके हिस्से आराजीयात से बेदखल कर देगा। अगर प्रतिवादीगण अपनी इन धमकियों में कामयाब हो गया तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। वादी अपनी संयुक्त परिवार की अविभाजित पैत्रिक आराजी से मिलने वाले अधिकारों से वंचित हो जावेगा। वादी नाबालिग है उसके हितों की सुरक्षा किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

अतः प्रार्थना है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री किया जावे –

(अ) यह घोषित किया जावे कि विवादित आराजी वर्णित मद सं. 3 वाद पत्र वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक आराजीयात है जिसमें वादी का प्रतिवादी के निहित हिस्से में 1/2 भाग निहित है वर्तमान इन्द्राज गलत है व काबिल कलमजन के हैं। जिन्हें कलमजन किया जाकर प्रतिवादी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी को निस्फ–2 भाग का खातेदारा काश्तकार अंकित किया जावे।

(ब) यह है कि डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की हिस्से आराजीयात में मदाखलत मजाहमत वेजा न करें, किसी भी प्रकार से वादी की काश्त में व्यवधान पैदा न करें व ना ही किसी अन्य पर कराये एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे वादी के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। दीगर जगह रहन, वय मुन्तकिल न करें, मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

(स) यह कि अन्य दीगर अनुतोष जो मुकदमे की परिस्थितियों अनुसार उचित व न्यायोचित हो व हक वादी दिलाई जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री निर्भयसिंह एडवो0 उपस्थित हुए एवं तरतीवी प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से श्री रामकिशन पूनियां एडवो. उपस्थित हुए एवं जबावदावा पेश किया गया प्रतियादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जबाव दावा संक्षिप्त में निम्नानुसार है।

1. यह है कि दावा की चरण सं. 1 में वर्णित चिराग का नाबालिग होना व प्रतिवादी का सी.आई.एस.एफ. में नौकरी करना स्वीकार है शेष अस्वीकार है क्योंकि प्रतिवादी शराब आदि का सेवन नहीं करता है यह बात सही है कि वादी अपनी माता के साथ ग्राम आजउ तहसील कुम्हेर में रहता है।
2. यह है कि दावा की चरण सं. 3 वर्णित आराजी का ग्राम बरवारा तहसील नदबई में होना स्वीकार है तथा शेष अस्वीकार है प्रतिवादी का खातेदार व काबिज स्वीकार है शेष तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार हैं। वादी संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य नहीं है। तथा जन्म से ही ग्राम आजउ तहसील कुम्हेर में रहता है तथा विवादित आराजी के किसी हिस्से पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं है।
3. यह है कि वाद पत्र की चरण सं. 4 अस्वीकार है वादी कोपार्सनर नहीं है प्रतिवादी ने अपनी स्वंय की नौकरी की आय से विवादित आराजी को क्रय नहीं किया है। वादी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है प्रतिवादीगण विवादित आराजी

उपखण्ड अ
नदबई (भर

खरीदशुदा रकवा का विक्रय करने में स्वतंत्र है। वादी विवादित आराजी पर प्रतिवादी के जीते जी किसी भी प्रकार की खातेदारी की घोषणा करा पाने का अधिकारी नहीं है।

4. यह है कि वाद पत्र की चरण सं. 5 गलत होने से अस्वीकार है दिनांक 17.07.2016 को प्रतिवादीगण ने वादी को किसी भी मुकाम पर कोई धमकी नहीं दी वादी ग्राम बरवारा में निवास नहीं करता है। वादी किसी भी प्रकार की कोई अजीम क्षति नहीं होती वादी प्रतिवादीगण को कोई स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पावंद करा पाने का अधिकारी नहीं है।

5. यह है कि वादी प्रतिवादी सं. 1 के साथ अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं है तथा पावंद करा पाने का अधिकारी भी नहीं है। अतः दावा काबिल खारिजी के है।

6. यह है कि वादी द्वारा वाद पत्र में आवश्यक पक्षकारों को मुकदमा पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि जमांबंदी हाल से प्रमाणित है। और वाद पत्र में नहीं है। दावा असंयोजन के आधार पर काबिल खारिजी के है।

अतः जबाब दावा मिनजानिब प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तरतीवी प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से जबाबदावा पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्न अनुसार है –

1. यह है कि वाद पत्र के मद सं. 1 में वर्णित नाबालिग चिराग वादी मुकेश का पुत्र होना स्वीकार है। लेकिन वर्तमान में नाबालिग चिराग की माता हिमांशी उर्फ रेनू पत्नि मुकेश जाति जाट निवासी बरवारा होना अस्वीकार है क्योंकि चिराग की माता हिमांशी ने अपने पति मुकेश से दिनांक 05.04.2019 को न्यायालय श्रीमान पारिवारिक न्यायालय भरतपुर के यहां से विधिवत रूप से तलाक ले लिया है इसलिये मुकेश की पत्नि होना अस्वीकार है।
2. यह है कि वाद–पत्र वादी चिराग द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा पत्रावली में संलग्न है।
3. यह है कि उक्त आराजी का संयुक्त परिवार की पैत्रिक आराजी होना स्वीकार है जिसमें वादी सं. 1 चिराग के साथ–साथ हम प्रार्थीगण सं. 2 युवान चौधरी व प्रतिवादीगण सं. 3 केतिका चौधरी का प्रतिवादी सं. 1 के साथ हिन्दु परिवार में जन्म होने के कारण संयुक्त आराजी में हक व हिस्सा होना निहित है।
4. यह है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जो डिक्री करने की प्रार्थना की गई है वह गलत है क्योंकि वादी सं. 1 चिराग के साथ–साथ हम प्रार्थीगण युवान चौधरी व केतिका चौधरी का प्रतिवादी सं. 1 मुकेश की आराजी जो कि पैत्रिक है के साथ–साथ 1/4, 1/4 हिस्सा जन्म से बनता है क्योंकि हम प्रार्थीगण का जन्म भी प्रतिवादी सं. 1 मुकेश पुत्र रामस्वरूप के नुफते से हुआ है। और हम प्रार्थीगण का हिस्सा प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सं. 1 की आराजी में जन्म से प्राप्त है। क्योंकि प्रतिवादीगण सं. 1 को जो आराजी प्राप्त हुई है वह हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। इसलिये हम प्रार्थीगण का हक व हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व वादी सं. 1 के साथ वाहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 जन्म से ही बनता है।

5. यह है कि वादी सं. 1 चिराग की माता हिमांशी उर्फ रेनू ने हमारे पिता प्रतिवादी सं. 01 मुकेश पुत्र रामस्वरूप से दिनांक 05.04.2019 को विधियत रूप से डिकरी प्राप्त कर तलाक ले लिया था उसके बाद हम प्रार्थीगण की माता राधिका व प्रतिवादी सं. 01 मश्केश का विवाह हुआ और विवाह उपरान्त मुकेश व राधिका के संसर्ग से हम प्रार्थीगण युवान चौधरी व केतिका चौधरी का जन्म हुआ इस प्रकार उक्त आराजी जो प्रतिवादी सं. 1 मुकेश को प्राप्त हुई है वह हम प्रार्थीगण के बाबा रामस्वरूप पुत्र भीकम से प्राप्त हुई है जिसमें हम प्रार्थीगण का हक व हिस्सा जन्म से निहित है। इस प्रकार वादी सं. 1 चिराग द्वारा जो दावा पेश किया गया है वह गलत है व प्रार्थना में वर्णित तथ्य भी गलत हैं क्योंकि वर्तमान में भी हम प्रार्थीगण युवान चौधरी व केतिका चौधरी प्रतिवादी सं. 01 मुकेश के विधिक वारिसान होने के कारण उक्त विरासतन प्राप्त पैत्रिक आराजी में हम प्रार्थीगण हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं व हम प्रार्थीगण युवान चौधरी व केतिका चौधरी को न्यायालय द्वारा पक्षकारान मुकदमा स्वीकार किया गया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जबावदावा के विवेचन के आधार पर तनकीयात कायम की गई। जो निम्नानुसार है–

1. आया विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक आराजी है।

— जिम्मे वादीगण

2. आया वादी प्रतिवादी के नाम दर्ज वर्तमान खातेदारी इन्द्राजात को कलमजन कराकर अपने नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज कराने की घोषणा करा पाने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादीगण

3. आया वादी प्रतिवादी को अपने निहित 1/2 हिस्से की आराजी पर जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादीगण

4. आया विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्व अर्जित आराजी है। जिसमें वादी का हक निहित नहीं है।

— जिम्मे प्रतिवादीगण सं. 1

5. आया दावा वादी द्वारा आश्यक पक्षकार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने के कारण याद काबिल खारिजी के है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

– जिम्मे प्रतिवादीगण सं. 1

6. आया विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 के साथ इसी आराजी में प्रति सं. 1 व वादी सं. 1 के साथ–साथ वाहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 जन्म से बनता है।

– जिम्मे तरतीवी प्रतिवादीगण सं. 2 व 3

7. आया वादी सं. 1 चिराग की माता हिमांशी उर्फ रेनू के पिता प्रतिवादी सं. 1 मुकेश से दिनांक 05.04.2019 को विधिवत रूप से तलाक डिक्री प्राप्त हो चुका है तथा मुकेश व राधिका के संसर्ग से हम प्रार्थी युवान चौधरी व केतिका चौधरी का जन्म हुआ है उक्त आराजी पैत्रिक होने के नाते हम प्रार्थी/तरतीवी प्रतिवादीगण का जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं।

– जिम्मे तरतीवी प्रतिवादीगण सं. 2 व 3

8. दीगर दादरसी।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी हाल संवत 2072–2075 वाके ग्राम बरवारा, नकल साबिक जमाबंदी संवत 2035 से 2038 वाके ग्राम बरवारा, नकल नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 पेश किये गये। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र मुकेश चंद पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरवारा तहसील नदबई, पारथ सिंह पुत्र समन्दर सिंह जाति जाट निवासी आजउ तहसील कुम्हेर, हिमांशी उर्फ रेनू पत्नि मुकेश जाति जाट निवासी बरवारा तहसील नदबई का पेश किया गया । प्रतिवादी की ओर से फॉर्म नं. 3 के साथ फोटोप्रति विवाह विच्छेद न्यायालय श्रीमान पारिवारिक न्यायालय, भरतपुर दिनांक 05.04.2019, फोटोप्रति जन्म प्रमाण पत्र युवान चौधरी जारी दिनांक 02.11.2021, फोटोप्रति जन्म प्रमाण पत्र केतिका चौधरी जारी दिनांक 17.11.2023, फोटोप्रति आधार कार्ड राधिका पेश किये गये। एवं साथ ही शपथ पत्र डी0ड्ब्ल्यू0 1 विजय सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरवारा एवं शपथ पत्र डी0ड्ब्ल्यू0 2 राधिका पत्नि मुकेश जाति जाट निवासी बरवारा तहसील नदबई का पेश किया गया ।

हमने वादी वकील की ओर से बहस सुनी गई। वादी वकील की ओर से वादपत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराया गया है। हाल आराजी खसरा नं. 344 रकवा 0.20, 369/1255 रकवा 0.07, 370 रकवा 0.07, 373 रकवा 0.30, 664 रकवा 1.27, 665 रकवा 0.82, 666 रकवा 0.29, 667 रकवा 0.29, 672 रकवा 0.38, 693 रकवा 0.30, 703 रकवा 0.68, 714 रकवा 0.30, 715 रकवा 0.22, 745 रकवा 0.31, 746 रकवा 0.59, 765 रकवा 0.21, 1045 रकवा 0.04, 174 रकवा 0.70, 175 रकवा 0.16, 176 रकवा 0.30, 188 रकवा 0.15, 190 रकवा 0.20, 383 रकवा 0.46, 384 रकवा 0.35, 385 रकवा 0.15, 386 रकवा 0.53 किता 26 रकवा 9.46 हैक्टे. में प्रतिवादी 1/8 भाग तथा खसरा नं. 764/0.28, 1109/0.19, 1188/0.16 किता 03 रकवा 0.63 हैक्टे. में प्रतिवादी 1/2 भाग स्थित वाके

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

ग्राम बरबारा पटवार हल्का लुहासा तहसील नदबई का खातेदार काश्तकार व दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक आराजीयात है जिस पर प्रतिवादी अकेले के नाम इन्द्राज कर्ता खानदान की हैसियत से चले आ रहे है। उक्त आराजीयात को प्रतिवादी ने अपने पिता स्व0 रामस्वरूप पुत्र भीकम से विरासतन प्राप्त किया है जिसमें वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। वादी प्रतिवादी का कोपासर्नर है और उसके अपने पूर्वजों से प्राप्त पुश्तैनी व सहदायिकी व संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गई सम्पत्ति में मिताक्षरा विधि के अनुसार जन्म से अधिकार निहित है और प्रत्येक कोपासर्नर अपने पिता के बराबर सहहिस्सेदार/सहखातेदार व काबिज हो जाता है और उसका कब्जा भी स्वतः माना जाता है कोपासर्नरी आराजीयात को बिना सहमति अन्य कोपासर्नर के खुर्द बुर्द नहीं किया जा सकता है और न ही उसे किसी भी प्रकार से बेस्ट डेमेज व ऐलीनेट किया जा सकता है। विवादित आराजी वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक आराजीयात है जिसमें वादी का प्रतिवादी के निहित हिस्से में 1/2 भाग निहित है वर्तमान इन्द्राज गलत है व काबिल कलमजन के हैं। जिन्हें कलमजन किया जाकर प्रतिवादी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी को निस्फ–2 भाग का खातेदारा काश्तकार अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने उभयपक्षकारान की बहस को सुना, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

1. आया विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक आराजी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी संवंत 2072–45 एवं 2035 –2038 वाके ग्राम बरवारा एवं नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पैतृक आराजी है। जो वादीगण व असल प्रतिवादी संख्या 01 एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की कोटीनेन्सी की आराजी है। जिस पर प्रतिवादनी का जन्मजात व विरासतन हक व हिस्सा निहित है। प्रस्तुत वादपत्र एवं गवाहों के शपथ–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक आराजीयात है जिस पर प्रतिवादी अकेले के नाम इन्द्राज कर्ता खानदान की हैसियत से चले आ रहे है उक्त आराजीयात को प्रतिवादी ने अपने पिता स्व. रामस्वरूप पुत्र भीकम से विरासतन प्राप्त किया है। अतः तनकी संख्या 01 प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के हक में तय की जाती है।
2. आया वादी प्रतिवादी के नाम दर्ज वर्तमान खातेदारी इन्द्राजात को कलमजन कराकर अपने नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज कराने की घोषणा करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। उक्त विवादित आराजी तनकी संख्या 01 से पैतृक आराजी साबिक हो चुकी है। जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से ही संतान का हक होता है। चूंकि वादीगण व असल प्रतिवादी संख्या 01 की कोटीनेन्सी की आराजी है। प्रतिवादी वकील की ओर से डिकी पारिवारिक न्यायालय, भरतपुर पेश की गई। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी चिराग की माता हिमांशी ने

उपखण्ड अ...
नदबई (भरत...

अपने पति अर्थात प्रतिवादी संख्या 01 मुकेश से दिनांक 05.04.2019 को श्रीमान पारिवारिक न्यायालय, भरतपुर के यहां से विधिवत रूप से तलाक ले लिया है। उक्त विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिसमें वादी संख्या 01 चिराग के साथ साथ तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 02 युवान चौधरी व तर0 प्रति. संख्या 03 केतिका चौधरी का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ हिन्दू परिवार में जन्म होने के कारण संयुक्त आराजी में हक व हिस्सा निहित है। इसलिए प्रार्थीगण युवान चौधरी व केतिका चौधरी विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व वादी संख्या 01 के साथ वाहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्से पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 02 वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

3. आया वादी प्रतिवादी को अपने निहित 1/2 हिस्से की आराजी पर जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। चूंकि उक्त विवादित आराजीयात वादिनी की पैतृक आराजी है एवं तनकी संख्या 02 में वादी एवं प्रतिवादी का हक व हिस्सा तय हो चुका है। इसलिए तनकी संख्या 02 को आधार मानते हुए वादी प्रतिवादी को अपने निहित 1/2 हिस्से की आराजी पर जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पांने का अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 03 वादी के विरुद्ध एवं प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

4. आया विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्व अर्जित आराजी है। जिसमें वादी का हक निहित नहीं है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2072–75 में विवादित आराजी वादी मुकेश पि. रामस्वरूप के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2035–38 का अवलोकन किया गया एवं मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 का अवलोकन किया गया तो पाया कि विवादित आराजी के खसरा नम्बरान जमाबंदी संवत 2035–38 में रामस्वरूप, हरसुख व महाराज सिंह पि0 भीकम जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत सजरा भी उक्त से मिलान खाता है। उक्त आराजी वादी मुकेश को अपने पिता रामस्वरूप से प्राप्त हुई एवं रामस्वरूप को भीकम से प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी स्वअर्जित न होकर पैतृक आराजी है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण (असल एवं तरतीवी) का हक व हिस्सा निहित है। अतः तनकी संख्या 04 वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

5. आया दावा वादी द्वारा आश्यक पक्षकार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने के कारण वाद काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 का है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 मुकेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी भरवारा को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है क्योंकि वादी चिराग पुत्र मुकेश द्वारा केवल अपने पिता से रिलीफ चाहने बाबत् पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त दावा में अन्य खातेदारान को

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुकदमा पक्षकार बनाये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उक्त विवादित आराजी पैतृक आराजी है। जिसमें संतान का जन्म से हक व हिस्सा निहित होता है। इसी तथ्य के आधार पर दावा पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एवं वादी के हक में तय की जाती है।

6. आया विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 के साथ इसी आराजी में प्रति सं. 1 व वादी सं. 1 के साथ–साथ वाहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 जन्म से बनता है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का है। उक्त तनकी को तनकी संख्या 02 के अनुसार ही सिद्ध किया जा सकता है। उसी के आधार पर ही तरतीवी प्रतिवादीगण का हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के साथ ही जन्म से 1/4, 1/4 बनता है। इस प्रकार उक्त तनकी तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के हक में एवं वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

7. आया वादी सं. 1 चिराग की माता हिमांशी उर्फ रेनू के पिता प्रतिवादी सं. 1 मुकेश से दिनांक 05.04.2019 को विधिवत रूप से तलाक डिक्री प्राप्त हो चुका है तथा मुकेश व राधिका के संसर्ग से हम प्रार्थी युवान चौधरी व केतिका चौधरी का जन्म हुआ है उक्त आराजी पैत्रिक होने के नाते हम प्रार्थी/तरतीवी प्रतिवादीगण का जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का है। तरतीवी प्रतिवादगण संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता की ओर से तलाक डिकी पेश की गई। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मुकेश का विवाह हिमांशी उर्फ रेनू के साथ हिन्दू रिति रिवाज अनुसार दिनांक 11.05.2013 को हुआ था। जिसकी प्रार्थी श्रीमती हिमांशी उर्फ रेनू की ओर से याचिका न्यायालय श्रीमान पारिवारिक न्यायालय, भरतपुर में पेश की गई। उक्त याचिका को स्वीकार किया जाकर न्यायालय श्रीमान ने दिनांक 05.04.2019 को विवाह विच्छेद (तलाक) की डिकी पारित की गई। उसके बाद तरतीवी प्रतिवादी गण संख्या 02 व 03 की माता राधिका का विवाह प्रतिवादी संख्या 01 के साथ हुआ एवं विवाह उपरान्त मुकेश व राधिका के संसर्ग से तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 युवान चौधरी व केतिका चौधरी का जन्म हुआ । उक्त विवादित आराजी पैतृक आराजी है। जो प्रतिवादी संख्या 01 को रामस्वरूप पुत्र भीकम से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी पैत्रिक होने के नाते हम प्रार्थी/तरतीवी प्रतिवादीगण का जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः उक्त तनकी तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी स्वअर्जित न होकर पैतृक आराजी है । वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नं. 344 रकबा 0.20, 369/1255 रकबा 0.07, 370 रकबा 0.07, 373 रकबा 0.30, 664

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

रकवा 1.27, 665 रकवा 0.82, 666 रकवा 0.29, 667 रकवा 0.29, 672 रकवा 0.38, 693 रकवा 0.30, 703 रकवा 0.68, 714 रकवा 0.30, 715 रकवा 0.22, 745 रकवा 0.31, 746 रकवा 0.59, 765 रकवा 0.21, 1045 रकवा 0.04, 174 रकवा 0.70, 175 रकवा 0.16, 176 रकवा 0.30, 188 रकवा 0.15, 190 रकवा 0.20, 383 रकवा 0.46, 384 रकवा 0.35, 385 रकवा 0.15; 386 रकवा 0.53 किता 26 रकवा 9.46 हैक्टे. में प्रतिवादी 1/8 भाग तथा खसरा नं. 764/0.28, 1109/0.19, 1188/0.16 किता 03 रकवा 0.63 हैक्टे. वाके ग्राम बरबारा पटवार हल्का लुहासा तहसील नदबई पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम चले आ रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादी, प्रतिवादी संख्या 01 व तर. प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 प्रत्येक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/4/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते